

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्या: 14/2016

दायर दिनांक: 21.03.2016

निर्णय दिनांक 21.11.2025

—: अनवान :-

श्रीमती नर्बदा धर्मपत्नी श्री राजुलाल जी पिता श्री लीलाधर जी, जाति माली, उम्र 55 वर्ष, निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद

— अपीलान्त

बनाम

1. श्रीमती गीता देवी पत्नी पुनमचन्द्र उर्फ पुर्णाशंकर जी, जाति माली, आयु करीब 44 वर्ष, निवासी उबा गणेश जी के पास, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
2. श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री भरत कुमार जी जोशी, आयु करीब 44 वर्ष, निवासी — भलावतों का खेड़ा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा।

--- रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरुद्ध नामान्तरणकरण संख्या 500 दिनांक 03/11/2015 द्वारा तहसीलदार साहब नाथद्वारा जिला राजसमंद

उपस्थित :-

1. श्री ईश्वर सिंह सामोता, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री संपत लाल लढढा, अधिवक्ता, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2
3. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोंडेन्ट संख्या 03

—: निर्णय :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 500 दिनांक 03.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता लीलाधर जी द्वारा



Signature

दिनांक 16/07/2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 133 में पृष्ठ संख्या 166, 167, 168 बुक संख्या क्रम संख्या 2015000865, पर एक पंजिकृत दान पत्र पंजिबद्ध किया गया जिसमें लीलाधर ने अपने पैतृक सम्पत्ति जो राजस्व गांव भलावतों का खेड़ा, पटवार हल्का नाथद्वारा में स्थित खसरा संख्या 364 कुल किता 1 रकबा 00-08-19 एवं आराजी नम्बर 381, 382, 383, 387, 388 कुल किता 5 कुल रकबा 02-04 दो बीघा चार विश्वा को दान की और उसके आधार पर गीता देवी के पक्ष में 1/3 हिस्से का नामान्तरण हुआ और गीता देवी ने अपने 1/3 हिस्से में से 52/219 हिस्से से दिनांक 15/10/2015 को रेस्पोजेन्ट संख्या 2 को विक्रय कर दी और उस आधार पर तहसीलदार साहब नाथद्वारा द्वारा उक्त नामान्तरणकरण स्वीकृत किया गया, जिससे दुखी, पीड़ीत एवं क्षुब्ध होकर यह अपील इन आधारों पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। लीलाधर द्वारा जो दान पत्र निष्पादित किया गया है वह दान पत्र पैतृक सम्पत्ति का होने के कारण ऐसा दान पत्र आरम्भ से ही शून्य है और ऐसा दस्तावेज वोर्ड है और ऐसे दस्तावेज से रेस्पोजेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुये है। यह दान पत्र लिस पेन्डेन्सी से दुषित होने के कारण ऐसे दान पत्र से रेस्पोजेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है फिर भी रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोजेन्ट संख्या 2 को अवैध दान पत्र के आधार पर विक्रय कर दिया। उक्त दान पत्र में अंकित आराजियात में अपीलाण्ट का जन्म से ही अधिकार नियत होने के कारण दान पत्र में अंकित आराजियात को लीलाधर को दान करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण भी ऐसे दान पत्र से रेस्पोजेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। इस प्रकार रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया दान पत्र आरम्भ से ही शून्य होने के कारण ऐसे दान पत्र से प्राप्त अधिकार से किया गया विक्रय विलेख भी शून्य है जिससे रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के पक्ष में खोला गया नामान्तरण भी निरस्त योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय, तहसीलदार साहब नाथद्वारा द्वारा जो नामान्तरण संख्या 500 दिनांक 03/11/2015 निरस्त फरमाया जावें।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पत लाल लढडा ने उपस्थिति दी तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण



Handwritten signature

सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त के द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्त के पिता लीलाधर जी द्वारा दिनांक 16.07.2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 133 में पृष्ठ संख्या 166, 167, 168 बुक संख्या कम संख्या 2015000865, पर एक पंजिकृत दान पत्र पंजिबद्ध किया गया जिसमें लीलाधर ने अपने पैतृक सम्पत्ति जो राजस्व गांव भलावतों का खेड़ा, पटवार हल्का नाथद्वारा में स्थित खसरा संख्या 364 कुल किता 1 रकबा 00-08-19 एवं आराजी नम्बर 381 382 383, 387, 388 कुल किता 5 कुल रकबा 02-04 दो बीघा चार विश्वा को दान की और उसके आधार पर गीता देवी के पक्ष में 1/3 हिस्से का नामान्तरण हुआ और गीता देवी ने अपने 1/3 हिस्से में से 52/219 हिस्से से दिनांक 15/10/2015 को रेस्पोजेन्ट संख्या 2 को विक्रय कर दी और उस आधार पर तहसीलदार साहब नाथद्वारा द्वारा उक्त नामान्तरणकरण स्वीकृत किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। लीलाधर द्वारा जो दान पत्र निष्पादित किया गया है वह दान पत्र पैतृक सम्पत्ति का होने के कारण ऐसा दान पत्र आरम्भ से ही शुन्य है और ऐसा दस्तावेज वोईड है और ऐसे दस्तावेज से रेस्पोजेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुये है। उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ है और उसमें तहसीलदार नाथद्वारा स्वयं एक पक्षकार होते हुए भी उक्त आक्षेपित नामान्तरण खोला गया जो आरम्भ से ही शुन्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय, तहसीलदार साहब नाथद्वारा द्वारा पारित आक्षेपित नामान्तरण संख्या 500 दिनांक 03/11/2015 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में मुख्यतः यह कथन किया कि नामान्तरण की प्रक्रिया एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। किसी भी पंजीबद्ध विक्रय पत्र की वैधता का निस्तारण सिविल न्यायालय करेगा। तथा माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन केवल पार्टशन सुट डीड के क्रियान्विती पर था, प्रोपर्टी के अंतरण पर नहीं था। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।




(Handwritten signature)


उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकृत दान पत्र के आधार पर खोले गये नामान्तरण संख्या 500 दिनांक 03/11/2015 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया हैं। उक्त संबंध में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा उनके द्वारा प्रस्तुत नजीरो का भी अध्ययन किया गया। दान पत्र की विधिक वैधता के संबंध में भी अधिवक्तागण द्वारा बहस की गई। इस संबंध में कोई टिप्पणी किये बगैर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03/11/2015 को विवादित सम्पत्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 14.11.2006 को एक स्थगन आदेश प्रकरण संख्या 611/2006 में पारित किया गया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि Meanwhile, the final decree shall not be prepared and the status-quo as it exists today regarding revenue entries in respect of property in question shall be maintained. तथा इसी स्थगन आदेश को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 03.11.2008 को Interim order dated 14-11-2006 is confirmed to last till Decision of this Appeal. और इस रीट याचिका में तहसीलदार स्वयं एक पक्षकार था और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के स्थगन आदेश से पूर्ण रूप से प्रभावित होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा उक्त नामान्तरण खोला गया, जो नहीं खोला जाना चाहिए था। अतः उक्त नामान्तरण को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 500 दिनांक 03/11/2015 को अपास्त किया जाता हैं।


(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 21.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

